पत्रांक :- 548 /सा0

दिनांक:- 19/2/21

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर

बन्दोबस्ती आम सूचना वर्ष -2021-22

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, मुंगेर के सैरात श्रीकृष्ण सेवा सदन पार्क एवं नन्दकुमार पार्क का डाक बन्दोबस्ती वर्ष 2021-22 के दिनांक 18/03/2021 से 17/03/ 2022 तक के लिए सैरात के सामने अंकित तिथि (क) दिनांक- 15.03.2021 को अपराहन 12:30 बजे नगर निगम कार्यालय, मुंगेर के सभा भवन में खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जाएगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोवस्ती नहीं होने पर सामने अंकित अनुवर्त्ती तिथि क्रमशः (ख) एवं (ग) को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर निम्नलिखित शर्त्तो के साथ एक वर्ष के लिए डाक बन्दोबस्ती की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर सार्वजनिक डाक में भाग ले सकते हैं।

क्रमांक	परिसम्पति का विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि एवं समय
01	श्रीकृष्ण सेवा सदन पार्क डाक का बन्दोबस्ती	25,000/-रू0	12,500/-रू0	(क)दिनांक- 15/03/2021 को अपराह्न 12:30 बजे से अनुवर्त्ती तिथि - (ख)दिनांक- 16 /03/2021.को अपराह्न 12.30 बजे (ग)दिनांक- 17/03/2021 को अपराह्न 12.30 बजे
02	नन्दकुमार पार्क डाक का बन्दोबस्ती	25,000/-रू0	12,500/-रू0	

आवश्यक शर्त्ते :-

1 डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक बोलने के पूर्व अपना आवासीय पता प्रखंड पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/ जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र एवं पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा पुलिस अधीक्षक से निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा ।

2 डाक में भाग लेने के पूर्व डाक वक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 50% जमानत की राशि नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा, यह राशि केवल उच्चतम डाकवक्ता को छोड़कर अन्य डाक वक्ता को डाक समाप्त होने के पश्चात वापस कर दी जाएगी।

3 उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती दी जाएगी तथा डाक समाप्ति के तुरंत बाद डाक की सम्पूर्ण राशि में से जमानत की राशि का समायोजन करने के बाद बचे शेष डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

4 पार्को के रख-रखाव एवं साफ-सफाई तथा सुरक्षा की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।

5 सभी तरह के विवादों का निपटारा नगर आयुक्त स्तर से ही मान्य होगा एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।

6 इण्डियन स्टाम्प एक्ट के सिडूल-1A के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोबस्ती की राशि के 3 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्वीकृत राशि का 02 प्रतिशत की राशि आयकर विभाग को स्वीकृत बन्दोबस्तदार को जमा करना अनिवार्य होगा।

7 बन्दोबस्तधारी को अद्यतन श्रमकानूनों का अनुपालन करना होगा एवं जी0एस0टी0, आयकर सहित अन्य सभी अद्यतन सरकारी कानूनों का भी अनुपालन करना होगा।

8 उक्त दोनों पार्क में निम्न निर्धारित दर पर ही आम लोगों में पार्क शुल्क की राशि वसूली की जायेगी।
(क) 05 वर्ष तक के बच्चों का- कोई शुल्क नहीं।
(ख) 05 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिये- 05/- रूपये प्रति व्यक्ति।

9 पार्क जिस स्थिति में निगम द्वारा सौंपा जायेगा, उसी स्थिति में वापस करना होगा।

10 विशेष सुरक्षा जमा राशि के रूप में 25,000/- रूपये का एन.एस.सी./एफ.डी. नगर आयुक्त के नाम से प्रतिज्ञित कर निविदा मे सफल होने के उपरान्त अलग से जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि लौटाने योग्य होगी जो बन्दोवस्ती समाप्त होने के बाद वापस कर दी जायेगी।

11 बिना कारण बताये डाक को स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

19.02.21
उप नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर

19/2/21
नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर

19/2/21
महापौर
नगर निगम, मुंगेर।